न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी -- प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 37/2021
रजिस्ट्रेशन नं. : 2021/66

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बॉसवाडा	बनाम	श्री गौतम रे पुत्र श्री अमर रे निवासी खोडी पीपली, केसरपुरा, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 27.04.2022

युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बॉसवाडा ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री गौतम रे पुत्र श्री अमर रे निवासी खोडी पीपली, केसरपुरा, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा को दिनांक 20.09.2017 को राशि रुपया 9,50,000 (अक्षरे नौ लाख पचास हजार रुपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 31.03.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगण के खाते कुल बकाया राशि 6,83,672 रू. एवं दिनांक 31.03.2021 राशि मय ब्याज की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। सिक्योरीटी के रुप में अपनी अचल सम्पति प्रार्थी के पास बंधक सम्पत्ति की जिसका विवरण आवासीय भूमि व भवन के सभी भाग व हिस्से मकान नं. 403/402/301 गॉव पागडी, आंबापुरा, बॉसवाडा क्षैत्रफल 1000 वर्ग फिट जिसका ऋणी ने करार कर ऋण राशि अदायगी हेतु आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 05–05–2021 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व ऋण राशि जमा नही करवाई। प्रोपर्टी के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी [illegible] के मध्य निष्पादित बंधक करार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को [illegible] लिखित नोटिस दिनांक 10.12.2021 को जारी किये गए। अप्रार्थी की ओर से श्री [illegible] श्री दिनेश पुरी अधिवक्ता अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:21:37 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

पत्र प्रस्तुत हुआ एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहने पर समुचित अवसर प्रदान किये गये किन्तु अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किय गया एवं आज दिनांक को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

अतः अप्रार्थी का जवाब बंद कर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नही करवाई गई न न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं बैंक को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमो के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नही की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार आंबापुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, बॉसवाडा को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.05.06 15:21:37 IST
Reason: SelfAttested